राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस विज्ञप्ति

क्रमांकः एफ.7 (28) परीक्षा 'क'/प्रधानाध्यापक (मावि) /2017–18/ 2412 दिनांकः 31.01.2019

आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.10.2018 में प्रधानाध्यापक (मावि) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता/वांछित अध्यापन अनुभव के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेशों एवं उक्त परीक्षा हेतु ऐसे याची अभ्यर्थियों को जारी किये गये प्रवेश पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 06.11.2018 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था। इसके उपरान्त आयोग के पत्र दिनांक 17.12.2018 (स्पीड–पोस्ट) द्वारा ऐसे 104 याची अभ्यर्थियों को वांछित दस्तावेज 05 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु पुनः सूचित किया गया साथ ही ऐसे याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वैब साइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड की गई परन्तु इसके बाद अभी भी 54 याची अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंन वांछित सूचना से अभी तक आयोग को अवगत नहीं कराया है जिसके अभाव में न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसे 54 याची अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में उन्हें जारी न्यायिक आदेश एवं परीक्षा प्रवेश पत्र की प्रति 05 दिवस की समयावधि में आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः/डाक द्वारा आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें। याची अभ्यर्थियों द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आयोग द्वारा न्यायिक आदेशों की पालना की जाना संभव नहीं हो सकेगा **ऐसे याचिओं द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने/तथ्य छिपाने के कारण आयोग द्वारा किया गया चयन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं याची अभ्यर्थी की होगी।**

ऐसे 54 याची अभ्यर्थियों को स्मरण पत्र (स्पीड–पोस्ट) द्वारा पृथक से भी सूचित किया जा रहा है।

(पी.सी.बेरवाल)
सचिव

क्रमांकः एफ.7 (28) परीक्षा 'क'/प्रधानाध्यापक (मावि) /2017–18/ 2412 दिनांकः 31.01.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग की उक्त प्रेस विज्ञप्ति निम्नांकित दैनिक समाचार पत्रों के नवीनतम संस्करण में केवल एक बार सशुल्क प्रकाशनार्थ :–

2– दैनिक नवज्योति, (राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशनार्थ)

3– राजस्थान पत्रिका, (राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशनार्थ)

4– दैनिक भास्कर, (राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशनार्थ)

5– राष्ट्रदूत, (राजस्थान राज्य के सभी संस्करणों में प्रकाशनार्थ)

प्रेस विज्ञप्ति जिस पत्र के साथ समाचार पत्रों को भेजी जाए उसकी एक प्रति आयोग के सूचनार्थ कृपया पृष्ठाकिंत करें। इन समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबन्धकों से भी कृपया अनुरोध किया जाए की आयोग की उक्त प्रेस विज्ञप्ति उनके नवीनतम दैनिक संस्करण में हर हालत में प्रकाशित करें। साथ ही उन्हें यह भी अनुरोध किया जाए कि प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति की कटिंग की एक प्रति (निःशुल्क) आयोग को सीधे ही भेजें ताकि प्रकाशित विषय सामग्री की सत्यता की जांच की जा सके।

उप सचिव

o/c 31-1-19